2015 का विधेयक सं.30

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 9 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,-

(क) उप-धारा (1) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा।";

(ग) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सीधी भर्ती" के पूर्व अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर और उप-धारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(घ) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6-ख) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(6-क) उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसीकि विहित की जाये।"; और

(ङ) उप-धारा (8-क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सेवा के किसी भी सदस्य को" के पश्चात् और "एक पंचायत समिति से" के पूर्व अभिव्यक्ति "पदस्थापन के किसी स्थान से पदस्थापन के किसी अन्य स्थान पर, चाहे उसी पंचायत समिति के भीतर या" अन्तःस्थापित की जायेगी।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए पूर्व में दो परीक्षाएं अर्थात् भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही थीं। भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संयुक्त रूप से केवल एक अध्यापक भर्ती और पात्रता परीक्षा (रीट) आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को, एक जिला परिषद् से दूसरी जिला परिषद् में, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरित करने के लिए सशक्त थी। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानान्तरित कर्मचारियों के लिए नये पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त विलम्ब से बचने के लिए पंचायत समितियों के भीतर-भीतर कर्मचारियों के स्थानान्तरण की समानान्तर शक्तियां भी राज्य सरकार को दी जानी प्रस्तावित थीं।

इसलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 और 90 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 9 जून, 2015 को राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 10 जून, 2015 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

सुरेन्द्र गोयल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड (2), यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

सुरेन्द्र गोयल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

89. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन.- (1) राज्य के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के रूप में अभिहित और इस धारा में इसके पश्चात् सेवा के रूप में निर्दिष्ट एक सेवा गठित की जायेगी और उसके लिए भर्ती जिलेवार की जायेगी।

(2) सेवा को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा, प्रत्येक प्रवर्ग को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और उसमें-

(i) ग्राम सेवक;

(ii) ग्राम सेविकाएं;

(iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक;

(iv) लिपिकवर्गीय स्थापन (लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर); और

(v) प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक;

होंगे।

(3) राज्य सरकार सेवा के काडर में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के किसी भी अन्य प्रवर्ग या श्रेणी के अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सम्मिलित नहीं हैं, सम्मिलित कर सकेगी।

(4) से (5) XX XX XX XX XX

(6) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, धारा 90 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापन समिति द्वारा जिले में की किसी श्रेणी या प्रवर्ग में के पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।

(6-क) हटायी गयी।

(6-ख) उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति, संबंधित जिले के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जिला

शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी:

परन्तु विधवाओं और विच्छिन्न विवाह स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों के मामले में, चयन ऐसी रीति से और ऐसी छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(7) से (8) XX XX XX XX XX

(8-क) उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, सेवा के किसी भी सदस्य को एक पंचायत समिति से किसी दूसरी पंचायत समिति में, चाहे वह एक ही जिले के भीतर हो या उसके बाहर, एक जिला परिषद् से दूसरी जिला परिषद् में या किसी पंचायत समिति से किसी जिला परिषद् में या किसी जिला परिषद् से किसी पंचायत समिति में स्थानान्तरित कर सकेगी और उप-धारा (8) या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये स्थानान्तरण के किसी भी आदेश के प्रवर्तन को रोक भी सकेगी या उक्त आदेश को रद्द भी कर सकेगी।

(9) से (11) XX XX XX XX XX

90. जिला स्थापन समिति का गठन और कृत्य.- (1) XX XX XX

(2) जिला स्थापन समिति-

(क) जिले में की पंचायत समिति और जिला परिषद् में की सेवा में विद्यमान धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर विभिन्न श्रेणियों और प्रवर्गों में के पदों के लिए चयन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार करेगी;

(ख) से (घ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 30 of 2015

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Fourth Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 9th June, 2015.

2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after the sub-section (1), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that selection for the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made at the State level.";

(c) in sub-section (6), after the existing expression "direct recruitment" and before the existing expression "shall be", the expression "to the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and to the posts encadred under sub-section (3)'' shall be inserted;

(d) after the sub-section (6), so amended, and before the existing sub-section (6-B), the

following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(6-A) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by such agency in such manner as may be prescribed."; and

(e) in sub-section (8-A), after the existing expression "any member of the service" and before the existing expression "from one Panchayat Samiti", the expression "from any place of posting to any other place of posting whether within the same Panchayat Samiti or" shall be inserted.

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 4 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For recruitment of Third Grade Teachers previously two examinations viz. Recruitment Examination and Eligibility Tests were being held. For smoothening the recruitment process only one combined Examination for Recruitment and Eligibility of Teachers (REET) is proposed to be held.

As per the existing provisions of Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government was empowered to transfer the employees of Panchayati Raj Institutions from One Zila Parishad to another, from one Panchayat Samiti to another. For avoid further delay in process to join the new posting place for transferred employee of Panchayati Raj Institutions the parallel powers of transfer of employees within the Panchayat Samities were also proposed to be given to the State Government.

Therefore, section 89 and 90 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 were proposed to be amended.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 4 of 2015) on 9th June, 2015, which was published in Rajasthjan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 10th June, 2015.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

सुरेन्द्र गोयल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (2) of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for providing procedure for selection and appointment on the posts specified in clause (iii) of sub-section (2) of section 89.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

सुरेन्द्र गोयल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX XX XX XX

89. Constitutions of the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service.- (1) There shall be constituted for the State service designated as the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service and hereafter in this section referred to as the service and recruitment thereto shall be made district-wise.

(2) The Service may be devided into different categories, each category being devided into different grades, and shall consist of –

(i) Village level workers;
(ii) Gramsevikas;
(iii) Primary and Upper Primary school teachers;
(iv) Ministerial establishment, (except Accountants and Junior Accountants); and
(v) Prabodhak and Senior Prabodhak.

(3) The State Government may encadre in the service any other category or grade of officers and employees of Panchayat Samitis and Zila Parishads and not included in Class IV Services.

(4) to (5) xx xx xx xx xx xx xx

(6) Appointment by direct recruitment shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government from out of the persons selected for the posts in a grade or category in the district by the District Establishment Committee referred to in sub-section (1) of section 90.

(6A) Deleted.

(6B) Appointment on the post specified in clause (v) of sub-section (2) shall be made by Additional Chief Executive Officer-cum-District Education Officer (Elementry Education) of the district concern in accordance with the rules made in this behalf by the State Government from out of persons selected for

the posts by the recruitment committee constituted by the Government in accordance with the rules made by the State Government in this behalf:

Provided in case of the posts reserved for widows and divorcee women, selection shall be made in such manners and by such Screening Committee as may be prescribed by the State Government.

(7) to (8) xx xx xx xx xx xx xx

(8A) Notwithstanding anything contained in sub-section (8), the State Government may transfer any member of the service from one Panchayat Samiti to another Panchayat Samiti, whether within the same district or outside it, from one Zila Parishad to another Zila Parishad, or from a Panchayat Samiti to a Zila Parishad or from a Zila Parishad to a Panchayat Samiti and may also stay the operation of, or cancel, any order of transfer made under sub-section (8), or the rules made thereunder.

(9) to (11) xx xx xx xx xx xx xx

90. Constitution and functions of the District Establishment Committee.- (1) xx xx xx xx xx xx xx

(2) The District Establishment Committee shall-

(a) make selection on the posts in different grades and categories except the post specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89 existing in the service in the Panchayat Samiti and the Zila Parishad in the district in accordance with the rules made by the State Government in this behalf;

(b) to (d) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.30

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(सुरेन्द्र गोयल, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 30 of 2015

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Surendra Goyal, Minister-Incharge)